Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 188-2023/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, OCTOBER 27, 2023 (KARTIKA 5, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 27 अक्तूबर, 2023

संख्या 66/जीएसटी–2.– हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. (1) ये नियम हरियाणा माल और सेवा कर (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2023, कहे जा सकते हैं।

(2) ये नियम प्रथम अक्तूबर, 2023 से लागू हुए समझे जाएंगे।

2. हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिन्हें, इसमें, इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 8 में, उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:––

"(1) प्रत्येक व्यक्ति, जो धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए दायी है और धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण चाहने वाला प्रत्येक व्यक्ति (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् "आवेदक" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है), सिवाय–

(i) ऐसा अनिवासी कराधेय व्यक्ति;

(ii) ऐसा व्यक्ति, जिससे धारा 51 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित है;

(iii) ऐसा व्यक्ति, जिससे धारा 52 के अधीन स्त्रोत पर कर का संग्रहण करना अपेक्षित है;

(iv) ऐसा व्यक्ति, जो एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 13) की धारा 14 में निर्दिष्ट गैर–कराधेय ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता को भारत के बाहर किसी स्थान से ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्ति सेवाओं का प्रदाय कर रहा है या ऐसा व्यक्ति, जो उक्त अधिनियम की धारा 14क में निर्दिष्ट भारत मे किसी व्यक्ति को भारत से बाहर किसी स्थान से ऑनलाइन धनीय गेम खेलने की प्रदाय कर रहा है,

रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने से पूर्व, सामान्य पोर्टल पर या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से प्ररूप जीएसटी आरईजी–01 के भाग क में अपनी स्थायी लेखा संख्या, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की घोषणा करेगा :

परंतु प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो इनपुट सेवा वितरक है, ऐसे इनपुट सेवा वितरक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पृथक आवेदन करेगा।"।

3. उक्त नियमों में, नियम 14 में,–

(i) उपान्तिक शीर्ष में "पूर्ति करने वाले किसी व्यक्ति" शब्दों के पश्चात् "या भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन धनीय गेम खेलने की पूर्ति करने वाला किसी व्यक्ति" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपनियम (1) में, "पूर्ति करने वाले कोई भी व्यक्ति" शब्दों के पश्चात् "या भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन धनीय गेम खेलने की पूर्ति करने वाला कोई व्यक्ति" शब्द रखे जाएंगे।

4. उक्त नियमों में, नियम 31क के पश्चात्, निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात्:––

"31ख. आनलाइन गेम खेलना, जिसके अंतर्गत ऑनलाइन धनीय गेम खेलना सम्मिलित है, की दशा में पूर्ति का मूल्य.– इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऑनलाइन गेम खेलने की पूर्ति का मूल्य, जिसके अंतर्गत ऑनलाइन धनीय गेम खेलने में अंतर्वलित अनुयोज्य दावों की पूर्ति सम्मिलित है, खिलाड़ी द्वारा या उसके निमित्त पूर्तिकार को धन या धन के मूल्य, जिसके अंतर्गत आभासी डिजीटल आस्तियां सम्मिलित भी हैं, के माध्यम से भुगतान की गई या भुगतान योग्य या के पास जमा करवाई गई कुल राशि होगी:

परंतु पूर्तिकार द्वारा खिलाड़ी को चाहे किसी भी कारण से, जिसके अंतर्गत खिलाड़ी द्वारा पूर्तिकार को भुगतान की गई या के पास जमा करवाई गई राशि का किसी आयोजन में भाग लेने के लिए उपयोग नहीं करना भी सम्मिलित है, वापस या प्रतिदाय की गई कोई राशि की ऑनलाइन धनीय गेम खेलने की पूर्ति के मूल्य से कटौती नहीं की जाएगी।

31ग. कैसिनो की दशा में अनुयोज्य दावों के पूर्ति का मूल्य.– इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कैसिनो में अनुयोज्य दावों के पूर्ति का मूल्य निम्नलिखित के लिए खिलाड़ी द्वारा या उसके निमित्त भुगतान की गई या भुगतान योग्य कुल राशि होगी–

(i) कैसिनो में उपयोग के लिए टोकन, चिप, सिक्कें या टिकटों, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, का क्रय;

(ii) कैसिनो में, किसी आयोजन में भाग लेना, जिसके अंतर्गत गेम, स्कीम, प्रतिस्पर्धा या कोई अन्य क्रियाकलाप या प्रक्रिया भी शामिल है, ऐसे मामले जहां टोकन, चिप, सिक्कें या टिकटें, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, अपेक्षित नहीं हैं:

परंतु कैसिनो द्वारा टोकन, चिप, सिक्कें या टिकटों, जैसी भी स्थति हो, या अन्यथा से वापस करने पर खिलाड़ी को वापस या प्रतिदाय की गई किसी राशि की कैसिनो में अनुयोज्य दावों के पूर्ति के मूल्य से कटौती नहीं की जाएगी।

व्याख्या.– नियम 31ख और नियम 31ग के प्रयोजन के लिए, किसी आयोजन, जिसके अंतर्गत गेम, स्कीम, प्रतिस्पर्धा या कोई अन्य क्रियाकलाप या प्रक्रिया भी सम्मिलित है, को जीतने के द्वारा खिलाड़ी द्वारा प्राप्त की गई ऐसी राशि को, जिसका प्रतिसंहरण किए बिना उक्त खिलाड़ी द्वारा किसी और आयोजन में प्रयोग किया जाता है, उक्त खिलाड़ी द्वारा या उसके निमित्त पूर्तिकार को भुगतान की गई या के पास जमा करवाई गई राशि नहीं माना जाएगा।"।

5. उक्त नियमों में, नियम 46 में, खंड (च) में, परंतुक में, "परन्तु" शब्द के पश्चात्, "ऑनलाइन धनीय गेम खेलने की पूर्ति को अंतर्वलित करने वाले मामलों में या ऐसे मामलों में" शब्द रखे जाएंगे।

6. उक्त नियमों में, नियम 64 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:––

"64. ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्ति सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्तियों और भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन धनीय गेम खेलने की पूर्ति करने वाले व्यक्तियों द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति.– प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो या तो भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन धनीय गेम खेलना प्रदान कर रहा है, या भारत से बाहर किसी स्थान से एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केंद्रीय अधिनियम 13) की धारा 14 में निर्दिष्ट गैर–कराधेय ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता को या गैर–कराधेय ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता से भिन्न किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्ति सेवाएं प्रदान कर रहा है, पश्चातवर्ती कलैंडर मास या उसके भाग के बीसवें दिन को या उससे पूर्व प्ररूप जीएसटीआर–5क में विवरणी फाइल करेगा।"।

7. उक्त नियमों में, नियम 87 में, उपनियम (3) में, दूसरे परंतुक में, "वाला व्यक्ति" शब्दों के स्थान पर, "वाला व्यक्ति या धारा 14क में यथा निर्दिष्ट भारत में किसी व्यक्ति को भारत से बाहर किसी स्थान से ऑनलाइन धनीय गेम खेलने की पूर्ति करने वाला कोई व्यक्ति," शब्द, अंक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

8. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी आरईजी–10 में,––

(i) विद्यमान शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :––

"भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन धनीय गेम खेलने की पूर्ति करने वाले व्यक्ति या भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में गैर–कराधेय ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता को ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्ति सेवाओं की पूर्ति करने वाले व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन।";

(ii) भाग क में, सारणी में, क्रम संख्या (ii) और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:––

"(iiक)	पूर्ति की किस्म	(क) ऑनलाइन धनीय गेम खेलने की पूर्ति (ख) ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्ति सेवाएं (ग) पूर्वोक्त (क) और (ख) दोनों";

(iii) भाग ख में, सारणी में, ––

(क) क्रम संख्या 2 और 3 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:––

"2.	भारत में ऑनलाइन सेवा या ऑनलाइन धनीय गेम खेलना प्रारंभ करने की तिथि	दिन/मास/वर्ष
3.	वेबसाइट/प्लेटफार्म/आवेदक का नाम इत्यादि, जैसा लागू हो, का यूनीफार्म रिसोर्स लोकेटर्स (यूआरएल) जिसके माध्यम से ऑनलाइन धनीय गेम खेलना या ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्ति सेवाएं प्रदान की जाती हैं: 1. 2. 3. " ;	

(ख) क्रम संख्या 7 और उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

"7	घोषणा मैं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। मैं, ...घोषणा करता/करती हूँ कि मैं रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूँ। मैं कराधेय राज्यक्षेत्र में स्थित गैर–कराधेय ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता (ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्ति सेवाओं के मामले में) से और/या कराधेय राज्यक्षेत्र में स्थित प्राप्तिकर्ता से (ऑनलाइन धनीय गेम खेलने के मामले में) दायी कर को प्रभारित और संग्रहित करुंगा और इसे भारत सरकार के पास जमा करूंगा/करूंगी। स्थानः हस्ताक्षर तिथिः प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नामः पदनामः" ;

(iv) अनुदेश में, मद 2 में, "धारा 14" शब्द और अंक के पश्चात्, "या धारा 14क, जैसी भी स्थिति हो," शब्द और अंक रखे जाएंगे।

9. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटीआर–5क के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"प्ररूप जीएसटीआर–5क

[देखिए नियम 64]

भारत के बाहर स्थित व्यक्ति द्वारा गैर कराधेय ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता (एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 को केन्द्रीय अधिनियम 13) में यथा परिभाषित) और भारत में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्ति सेवाओं की पूर्ति का ब्यौरा और भारत से बाहर स्थित व्यक्ति द्वारा भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन धनीय गेम खेलने की पूर्ति का ब्यौरा

1. प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन–

2. (क) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का विधिक नाम–

(ख) व्यापार नाम, यदि कोई हो–

3. भारत में विवरणी फाइल करने वाले प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम–

4. अवधिः..................माह......................वर्ष

4(क) एआरएनः

4(ख) एआरएन की तिथिः

5. भारत में गैर कराधेय ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता को ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्ति सेवाओं की कर योग्य जावक पूर्तियाँ

(राशि रुपए में)

पूर्ति का स्थान (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)	कर की दर	कर योग्य मूल्य	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5

5क. भारत में गैर कराधेय ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता को ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्ति सेवाओं की कर योग्य जावक पूर्तियों में संशोधन

(राशि रुपए में)

माह	पूर्ति का स्थान (राज्य/संघ राज्याक्षेत्र)	कर की दर	कर योग्य मूल्य	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6

5ख. गैर कराधेय ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता के अतिरिक्ति भारत में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को दी गई ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्ति सेवाओं की कर योग्य जावक पूर्तियाँ, जिस पर उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा रिवर्स चार्ज के आधार पर कर का भुगतान किया जाना है

(राशि रुपए में)

जीएसटीआईएन	कर योग्य मूल्य
1	2

5(ग) गैर कराधेय ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता के अतिरिक्त भारत में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा दी जाने वाली ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्ति सेवाओं की कर योग्य जावक पूर्तियों, जिस पर दिया गया कर रिवर्स चार्ज के आधार पर उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा भुगतान किया जाना है, में संशोधन

(राशि रुपए में)

माह	मूल जीएसटीआईएन	संशोधित जीएसटीआईएन	कर योग्य राशि
1	2	3	4

5(घ) भारत में व्यक्ति को किए गए ऑनलाइन मनी गेमिंग की पूर्तियाँ

(राशि रुपए में)

पूर्ति का स्थान (राज्य/संघ राज्याक्षेत्र)	कर की दर	कर योग्य मूल्य	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5

5(ड.) भारत में व्यक्ति को किए गए ऑनलाइन धनीय गेम खेलने की पूर्तियों में संशोधन

(राशि रुपए में)

माह	पूर्ति का स्थान (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)	कर की दर	कर योग्य मूल्य	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6

6. ब्याज, या किसी अन्य राशि की गणना

(राशि रुपए में)

क्रम संख्या	विवरण	पूर्ति का स्थान (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)	देय राशि (ब्याज/अन्य)	
			एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5
1.	ब्याज			
2.	अन्य			
	कुल			

7. कर, ब्याज और अन्य भुगतान योग्य और भुगतान की गई राशि

(राशि रुपए में)

क्रम संख्या	विवरण	भुगतान योग्य राशि		विकलन प्रविष्टि संख्या	भुगतान की गई राशि	
		एकीकृत कर	उपकर		एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7
1.	कर दायित्व (सारणी 5, 5क, 5घ और 5ड़)					
2.	ब्याज (सारणी 6 पर आधारित)					
3.	अन्य (सारणी 6 पर आधारित)					

सत्यापन

मैं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

स्थानः
तिथि

हस्ताक्षर
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम
पदनाम/प्रास्थिति"।

देविंदर सिंह कल्यान,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 27th October, 2023

No. 66/GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Haryana Goods and Services Tax (Fourth Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 1st October, 2023.

2. In the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 8, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:–

"(1) Every person who is liable to be registered under sub-section (1) of section 25 and every person seeking registration under sub-section (3) of section 25 (hereafter in this Chapter referred to as "the applicant"), except–

(i) a non-resident taxable person;

(ii) a person required to deduct tax at source under section 51;

(iii) a person required to collect tax at source under section 52;

(iv) a person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a non-taxable online recipient referred to in section 14 or a person supplying online money gaming from a place outside India to a person in India referred to in section 14A under the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (Central Act 13 of 2017),

shall, before applying for registration, declare his Permanent Account Number, State or Union territory in **Part A** of **FORM GST REG-01** on the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner:

Provided that every person being an Input Service Distributor shall make a separate application for registration as such Input Service Distributor."

3. In the said rules, in rule 14, –

(i) in the marginal heading, after the words "**online recipient"** the letters and words **"or to a person supplying online money gaming from a place outside India to a person in India"** shall be inserted;

(ii) in sub-rule (1), after the words "online recipient" the letters and words "or any person supplying online money gaming from a place outside India to a person in India" shall be inserted.

4. In the said rules, after rule 31A, the following rules shall be inserted, namely:-

"31B. Value of supply in case of online gaming including online money gaming.– Notwithstanding anything contained in this chapter, the value of supply of online gaming, including supply of actionable claims involved in online money gaming, shall be the total amount paid or payable to or deposited with the supplier by way of money or money's worth, including virtual digital assets, by or on behalf of the player:

Provided that any amount returned or refunded by the supplier to the player for any reasons whatsoever, including player not using the amount paid or deposited with the supplier for participating in any event, shall not be deductible from the value of supply of online money gaming.

31C. Value of supply of actionable claims in case of casino.– Notwithstanding anything contained in this chapter, the value of supply of actionable claims in casino shall be the total amount paid or payable by or on behalf of the player for –

(i) purchase of the tokens, chips, coins or tickets, by whatever name called, for use in casino; or

(ii) participating in any event, including game, scheme, competition or any other activity or process, in the casino, in cases where the token, chips, coins or tickets, by whatever name called, are not required:

Provided that any amount returned or refunded by the casino to the player on return of token, coins, chips, or tickets, as the case may be, or otherwise, shall not be deductible from the value of the supply of actionable claims in casino.

Explanation.- For the purpose of rule 31B and rule 31C, any amount received by the player by winning any event, including game, scheme, competition or any other activity or process, which is used for playing by the said player in a further event without withdrawing, shall not be considered as the amount paid to or deposited with the supplier by or on behalf of the said player."

5. In the said rules, in rule 46, in clause (f), in the proviso, after the words "Provided that" the words "in cases involving supply of online money gaming or in cases" shall be inserted.

6. In the said rules, for rule 64, the following rule shall be substituted, namely: –

"**64. Form and manner of submission of return by persons providing online information and data base access or retrieval services and by persons supplying online money gaming from a place outside India to a person in India.-** Every registered person either providing online money gaming from a place outside India to a person in India, or providing online information and data base access or retrieval services from a place outside India to a non-taxable online recipient referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (Central Act 13 of 2017) or to a registered person other than a non-taxable online recipient, shall file return in FORM GSTR-5A on or before the twentieth day of the month succeeding the calendar month or part thereof."

7. In the said rules, in rule 87, in sub-rule (3), in the second proviso, for the words and figures "section 14", the words, letters, brackets and figures "section 14, or a person supplying online money gaming from a place outside India to a person in India as referred to in section 14A," shall be substituted.

8. In the said rules, in FORM GST REG-10, –

(i) for the existing heading, the following heading shall be substituted, namely—

"**Application for registration of person supplying online money gaming from a place outside India to a person in India or for registration of person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a non-taxable online recipient in India.";**

(ii) in Part A, in the table, after serial number (ii) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:

"(ii a)	Type of supply	(a) Supply of online money gaming (b) Supply of online information and database access or retrieval services (c) Both (a) and (b) above"

(iii) in Part B, in the table, —

(a) for serial numbers 2 and 3 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:

"2.	Date of commencement of the online service or online money gaming in India.	DD/MM/YYYY
3	Uniform Resource Locators (URLs) of the website/platform/name of the application, etc, as applicable through which online money gaming or online information and database access or retrieval services are provided: 1. 2. 3."	

(b) for serial number 7 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:

"7	Declaration *I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.* *I,…………………………. hereby declare that I am authorised to sign on behalf of the Registrant. I would charge and collect tax liable from the non-taxable online recipient located in taxable territory(in case of online information and database access or retrieval services) and/or from the recipient located in taxable territory (in case of online money gaming) and deposit the same with Government of India.* Signature Place: Name of Authorised Signatory: Date: Designation:"

(iv) in the Instructions, in item 2, after the words and figures "section 14", the words and figures "or section 14A, as the case may be," shall be inserted.

9. In the said rules, for FORM GSTR-5A, the following form shall be substituted namely:–

"FORM GSTR-5A

[See rule 64]

Details of supplies of online information and database access or retrieval services by a person located outside India made to non-taxable online recipient (as defined in Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (Central Act 13 of 2017)) and to registered persons in India and details of supplies of online money gaming by a person located outside India to a person in India

1. GSTIN of the supplier-
2. (a) Legal name of the registered person -
   (b) Trade name, if any -
3. Name of the Authorised representative in India filing the return –
4. Period: Month - ______ Year –
   4(a) ARN:
   4(b) Date of ARN:
5. Taxable outward supplies of online information and database access or retrieval services made to non-taxable online recipient in India

(Amount in Rupees)

Place of supply (State/UT)	Rate of tax	Taxable value	Integrated tax	Cess
1	2	3	4	5

5A. Amendments to taxable outward supplies of online information and database access or retrieval services to non-taxable online recipient in India

(Amount in Rupees)

Month	Place of supply (State/UT)	Rate of tax	Taxable value	Integrated tax	Cess
1	2	3	4	5	6

5B. Taxable outward supplies of online information and database access or retrieval services made to registered persons in India, other than non-taxable online recipient, on which tax is to be paid by the said registered persons on reverse charge basis

(Amount in Rupees)

GSTIN	*Taxable Value*
1	*2*

5C. Amendments to the taxable outward supplies of online information and database access or retrieval services made to registered persons in India, other than non-taxable online recipient, on which tax is to be paid by the said registered persons on reverse charge basis

(Amount in Rupees)

Month	*Original GSTIN*	*Revised GSTIN*	*Taxable value*
1	*2*	*3*	*4*

5D. Supplies of online money gaming made to a person in India

(Amount in Rupees)

Place of supply (State/UT)	Rate of tax	Taxable value	Integrated tax	Cess
1	2	3	4	5

5E. Amendments to supplies of online money gaming made to a person in India

(Amount in Rupees)

Month	Place of supply (State/UT)	Rate of tax	Taxable value	Integrated tax	Cess
1	2	3	4	5	6

6. Calculation of interest, or any other amount

(Amount in Rupees)

Sr. No	Description	Place of supply(State/UT)	Amount due (Interest/ Other)	
			Integrated tax	Cess
1	2	3	4	5
1.	Interest			
2.	Others			
	Total			

7. Tax, interest, and any other amount payable and paid

(Amount in Rupees)

Sr. No.	Description	Amount payable		Debit entry no.	Amount paid	
		Integrated Tax	Cess		Integrated Tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tax Liability (based on Table 5, 5A, 5D and 5E)					
2.	Interest (based on Table 6)					
3.	Others (based on Table 6)					

Verification

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Signature

Place — Name of Authorised Signatory

Date — Designation /Status”

DEVINDER SINGH KALYAN,
Principal Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.

10675—C.S.—H.G.P., Pkl.